अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(74) ग्राविवि/अनु–5/जीकेएन/न्यूनतम मजदूर दर/ 2014–15 जयपुर, दिनांक 7 जून, 2018

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला समस्त राजस्थान।

विषयः– श्रमिकों की पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर बीएसआर सॉफ्टवेयर में अपडेट करने के सम्बंध में ।

प्रसंगः– श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5(6) न्यूनतम मजदूरी/श्रम/2000/पार्ट/11232 एवं 11276 दिनांक 03.07.2017 समसंख्यक पत्र दिनांक 13.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रम विभाग द्वारा जारी प्रासांगिक अधिसूचना दिनांक 03.07.2017 के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही विभिन्न केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं (नरेगा योजना को छोडकर) में नियोजित अकुशल श्रमिक एवं अर्द्वकुशल श्रमिक (मेट) की पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर क्रमशः रूपये 207/– व रूपये 217/– प्रतिदिवस विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.10.2017 द्वारा आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी की गई थी।

उक्तानुसार पुनरीक्षित एवं प्रभावी अकुशल श्रमिक एवं अर्द्वकुशल श्रमिक (मेट) की न्यूनतम मजदूरी दर क्रमशः रूपये 207/– व रूपये 217/– प्रति दिवस वर्ष 2018–19 की बीएसआर हेतु विभागीय ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी कर दी गयी है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एंव पराविं।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता ग्रावि,